भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3404
दिनांक 12 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

महिला हेल्पलाइन

3404. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है;
(ख) क्या सरकार ने देश में महिला हेल्पलाइन स्थापित करने के लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल कर लिये हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान देश भर में उक्त हेल्पलाइनों से लाभान्वित महिलाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश भर में महिला हेल्पलाइनों के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग में लाई गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने देश भर में महिला हेल्पलाइनों के कार्यकरण के लिए कोई आवधिक मूल्यांकन किया है तथा यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : भारत सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़ी नवाचारी स्कीमों एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्भया निधि का गठन किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी अनेक स्कीमें चला रहा है जिसमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन-स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प लाइन तथा निर्भया निधि रूपरेखा के तहत महिला पुलिस वॉलिंटियर जैसी स्कीमें शामिल हैं।

वन स्टॉप सेंटर स्कीम का उद्देश्य एक छत के नीचे हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए सेवाओं की समेकित रेंज जैसे कि पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श तथा अस्थायी आश्रय प्रदान करना है। महिला हेल्पलाइन के सर्वसुलभीकरण की स्कीम का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घण्टे आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन रेफरल तथा सूचना सेवा प्रदान करना है। महिला पुलिस वॉलिंटियर स्कीम का उद्देश्य महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से जुड़े मुद्दों पर पहुंच को सुगम बनाने के लिए जनता और पुलिस के बीच कड़ी का निर्माण करना है।

इसके अलावा सचिव, डब्ल्यूसीडी की अध्यक्षता में निर्भया निधि रूपरेखा के तहत अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति ने निर्भया निधि रूपरेखा के तहत अन्य मंत्रालय/विभागों की अनेक स्कीमों/परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है।

(ख) और (ग) : महिला हेल्पलाइन के सर्वसुलभीकरण की स्कीम का उद्देश्य उपयुक्त प्राधिकरणों जैसे कि पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, विधिक सेवा आदि से उनको जोड़कर सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घण्टे आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन रेफरल एवं सूचना सेवा प्रदान करना है। महिला हेल्पलाइन 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभांवित महिलाओं का ब्यौरा अनुलग्नक-1 में उपलब्ध है।

(घ) : पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान महिला हेल्पलाइन स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-2 में उपलब्ध है।

(ड.) : पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में महिला हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संस्वीकृत, निर्मुक्त और प्रयुक्त राशि का ब्यौरा अनुलग्नक-3 में उपलब्ध हैं।

(च) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला हेल्पलाइन स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में समय समय पर अधिकारियों द्वारा दौरे, बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस, संबंधित प्राधिकारियों एवं पदाधिकारियों के साथ कार्यशालाओं आदि के माध्यम से महिला हेल्पलाइन की समीक्षा करता है। अब तक महिला हेल्पलाइन के माध्यम से 25 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

अनुलग्नक-I

'महिला हेल्पलाइन' विषय पर श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3404 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के लिए महिला हेल्पलाइन द्वारा लाभान्वित महिलाओं पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित महिलाओं की कुल संख्या (वित्त वर्ष : **2016-17)**	लाभान्वित महिलाओं की कुल संख्या (वित्त वर्ष : **2017-18)**	लाभान्वित महिलाओं की कुल संख्या (वित्त वर्ष: **2018-19)**	लाभान्वित महिलाओं की कुल संख्या (वित्त वर्ष : **2019-20) (30.06.2019** तक**)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	क्रियाशील नहीं है	क्रियाशील नहीं है	501	32
2	आंध्र प्रदेश	44715	215300	235425	230456
3	अरुणाचल प्रदेश	8	3314	1942	150
4	असम	क्रियाशील नहीं है	43	1120	112
5	बिहार	45908	43119	36254	4478
6	चंडीगढ़	15318	13625	12759	3305
7	छत्तीसगढ़	1103	1830	2771	513
8	दादरा और नगर हवेली	क्रियाशील नहीं है	48	75	8
9	दमन और दीव	क्रियाशील नहीं है	26	46	4
10	गोवा	क्रियाशील नहीं है	क्रियाशील नहीं है	962	984
11	गुजरात	111584	129265	172352	152187
12	हरियाणा	क्रियाशील नहीं है	क्रियाशील नहीं है	310	225
13	हिमाचल प्रदेश	क्रियाशील नहीं है	क्रियाशील नहीं है	2000	378
14	जम्मू और कश्मीर	क्रियाशील नहीं है	266	820	191
15	झारखंड	62923	77993	143423	37629
16	कर्नाटक	क्रियाशील नहीं है	क्रियाशील नहीं है	33	115
17	केरल	382	17794	25869	4993
18	मध्य प्रदेश	18503	26279	38982	19175
19	महाराष्ट्र	43250	79645	141970	1793
20	मणिपुर	क्रियाशील नहीं है	199	145	16
21	मेघालय	क्रियाशील नहीं है	71	61	7
22	मिजोरम	812	1320	1539	374
23	नागालैंड	क्रियाशील नहीं है	124	116	159
24	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	डाटा प्रदान नहीं किया गया है	डाटा प्रदान नहीं किया गया है	डाटा प्रदान नहीं किया गया है	डाटा प्रदान नहीं किया गया है
25	ओडिशा	क्रियाशील नहीं है	28197	23321	981
26	पंजाब	123545	108253	126607	31213
27	राजस्थान	क्रियाशील नहीं है	1323	4510	1424
28	सिक्किम	22	78	19	69
29	तमिलनाडु	क्रियाशील नहीं है	0	68831	37559
30	तेलंगाना	क्रियाशील नहीं है	170610	281917	44582
31	उत्तर प्रदेश	क्रियाशील नहीं है	12551	188142	204632
32	उत्तराखंड	547	792	852	112

अनुलग्नक **-II**

'महिला हेल्पलाइन' विषय पर श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3404 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के लिए महिला हेल्पलाइन के तहत नियुक्त व्यक्तियों की संख्या पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कर्मचारियों की कुल संख्या (वित्त वर्ष : **2016-17)**	कर्मचारियों की कुल संख्या (वित्त वर्ष : **2017-18)**	कर्मचारियों की कुल संख्या (वित्त वर्ष : **2018-19)**	कर्मचारियों की कुल संख्या (वित्त वर्ष : **2019-20) (30.06.2019** तक**)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	क्रियाशील नहीं है	क्रियाशील नहीं है	7	12
2	आंध्र प्रदेश	2	8	23	23
3	अरुणाचल प्रदेश	2	12	19	21
4	असम	क्रियाशील नहीं है	7	19	19
5	बिहार	22	29	31	35
6	चंडीगढ़	21	20	20	18
7	छत्तीसगढ़	22	30	20	20
8	दादरा और नगर हवेली	क्रियाशील नहीं है	0	0	0
9	दमन और दीव	क्रियाशील नहीं है	0	0	0
10	गोवा	क्रियाशील नहीं है	क्रियाशील नहीं है	17	17
11	गुजरात	162	149	170	170
12	हरियाणा	क्रियाशील नहीं है	क्रियाशील नहीं है	6	6
13	हिमाचल प्रदेश	क्रियाशील नहीं है	क्रियाशील नहीं है	9	9
14	जम्मू और कश्मीर	क्रियाशील नहीं है	14	26	26
15	झारखंड	9	9	9	9
16	कर्नाटक	क्रियाशील नहीं है	क्रियाशील नहीं है	8	10
17	केरल	13	13	13	13
18	मध्य प्रदेश	6	6	6	6
19	महाराष्ट्र	1	1	5	8
20	मणिपुर	क्रियाशील नहीं है	11	11	11
21	मेघालय	क्रियाशील नहीं है	18	12	11
22	मिजोरम	10	15	19	19
23	नागालैंड	क्रियाशील नहीं है	14	14	14
24	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	डाटा प्रदान नहीं किया गया है	डाटा प्रदान नहीं किया गया है	डाटा प्रदान नहीं किया गया है	डाटा प्रदान नहीं किया गया है
25	ओडिशा	क्रियाशील नहीं है	15	17	17
26	पंजाब	21	27	27	27
27	राजस्थान	क्रियाशील नहीं है	15	20	20
28	सिक्किम	10	10	10	10
29	तमिलनाडु	क्रियाशील नहीं है	क्रियाशील नहीं है	11	11
30	तेलंगाना	क्रियाशील नहीं है	19	19	19
31	उत्तर प्रदेश	क्रियाशील नहीं है	23	98	98
32	उत्तराखंड	19	19	20	20

अनुलग्नक **–III**

'महिला हेल्पलाइन' विषय पर श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3404 के उत्तर के भाग (ड.) में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष **2016-17, 2017-18, 2018-19** और **2019-20** के दौरान निधियों की संस्वीकृति, निर्मुक्ति एवं उपयोग पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष				
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (30.06.2019 तक)**	उपयोग
1	अंडमान और निकोबार	0	0	50.95	34.08	0.13
2	आंध्र प्रदेश	0	0	60.60	34.08	106.5
3	अरुणाचल प्रदेश	0	59.50	81.36	34.08	169.2
4	असम	0	0	16.12	22.72	16.58
5	बिहार	0	38.07	54.94	46.50	133.1
6	चंडीगढ़	0	89.15	58.93	34.08	188.4
7	छत्तीसगढ़	37.91	63.64	85.35	34.08	166.5
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	0	34.08	0	34.08	3.64
10	गोवा	0	0	0	0	0
11	गुजरात	0	178.80	89.40	46.50	270.2
12	हरियाणा	0	0	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	33.82	34.08	51.33
15	झारखंड	0	0	0	0	0
16	कर्नाटक	0	0	0	0	0
17	केरल	0	21.64	67.65	34.08	72.71
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
20	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
21	मणिपुर	0	0	0	0	0
22	मेघालय	0	0	32.70	34.08	49.7
23	मिजोरम	0	85.20	85.20	34.08	187.5
24	नागालैंड	29.11	76.33	68.16	34.08	177.2
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	0	30.16	98.65	34.08	140.6
27	पुडुचेरी	0	0	51.08	0	0
28	पंजाब	0	0	27.19	34.08	21.97
29	राजस्थान	0	0	0		0
30	सिक्किम	0	0	33.81	34.08	46.99
31	तमिलनाडु	0	0	46.50	46.50	62.7
32	तेलंगाना	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	0	40.11	88.54	46.50	0
35	उत्तराखंड	0	46.79	57.61	34.08	75.51
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0